



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- https://snpv.ac.in

क्रमांक 2-1-2/417/अधिसूचना/2021/869

रायगढ़, दिनांक 07.09.2021

// आदेश //

विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्र/2-1-2/417/सम्बद्धता/2021/747 दिनांक 27.08.2021 द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा एवं छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के आधार पर चैतन्य कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से निम्नांकित विषय/पाठ्यक्रम हेतु सीट वृद्धि के साथ विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अस्थायी संबद्धता प्रदान किया जाता है:-

क्र	विषय/पाठ्यक्रम	पूर्व में स्वीकृत सीट संख्या	अतिरिक्त सीट वृद्धि	वृद्धि पश्चात कुल सीट संख्या
01.	एम.एस.सी. पूर्व रसायन शास्त्र	20	20	40
02	एम.एस.सी. पूर्व कम्प्यूटर साइंस	20	20	40

निर्धारित शर्तें :-

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों का पालन किया जावे
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को सम्बद्धता) विनियम-2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जावे।
3. परिनियम 28 के प्रावधानानुसार संबंधित विषयों में एक-एक अतिरिक्त शिक्षक की शीघ्र नियुक्ति की जाये।
4. संबंधित विषय के अद्यतन पुस्तकें एवं उपकरण तत्काल क्रय की जायें।

उल्लेखित शर्तों का पालन कर प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को दिनांक 30.09.2021 तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त सीट वृद्धि संबंधी आदेश आगामी सत्र से स्वयं समाप्त मानी जायेगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 07.09.2021

पृ. क्रमांक 2-1-2/417/अधिसूचना/2021/870

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. उप कुलसचिव, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. प्राचार्य, चैतन्य कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी (अका.)

07/09/21